

Think  
IAS...  




 Think  
Drishti

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

# भारतीय राजव्यवस्था

(उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

भाग-1



दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (*Distance Learning Programme*)

Code: UPPM03



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

# भारतीय राजव्यवस्था

## ( उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित )

**भाग-1**



641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

दूरभाष : 011-47532596, 8750187501

टोल फ्री : 1800-121-6260

Web : [www.drishtiiias.com](http://www.drishtiiias.com)

E-mail : [online@groupdrishti.com](mailto:online@groupdrishti.com)

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को “like” करें

[www.facebook.com/drishtithevisionfoundation](https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation)

[www.twitter.com/drishtiiias](https://www.twitter.com/drishtiiias)

|  |              |
|--|--------------|
| <b>1. राजव्यवस्था : एक परिचय</b>   | <b>5–30</b>  |
| 1.1 राज्य, राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता                     | 5            |
| 1.2 राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है?                              | 6            |
| 1.3 शासन के अंग  | 7            |
| 1.4 शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार-1  | 13           |
| 1.5 शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार-2  | 16           |
| 1.6 लोकतंत्र व संविधानवाद का ऐतिहासिक विकास                                    | 21           |
| 1.7 लोकतंत्र के प्रकार   | 24           |
| <b>2. भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना</b> | <b>31–42</b> |
| 2.1 ब्रिटिश संवैधानिक योजना  | 31           |
| 2.2 अमेरिका की संवैधानिक योजना   | 33           |
| 2.3 स्विट्जरलैंड की संवैधानिक योजना  | 35           |
| 2.4 फ्राँस की संवैधानिक योजना  | 36           |
| 2.5 जर्मनी की संवैधानिक योजना  | 37           |
| 2.6 भारतीय संविधान पर अन्य संविधानों का प्रभाव                                 | 38           |
| <b>3. भारतीय संविधान : एक परिचय</b>  | <b>43–89</b> |
| 3.1 भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार  | 43           |
| 3.2 संविधान सभा तथा संविधान का निर्माण   | 50           |
| 3.3 भारतीय संविधान की विशेषताएँ  | 57           |
| 3.4 संविधानों का वर्गीकरण और भारतीय संविधान                                    | 61           |
| 3.5 भारतीय संविधान परिसंघात्मक है, संघात्मक या एकात्मक?                        | 62           |
| 3.6 भारतीय संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय                                     | 66           |
| 3.7 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद                                      | 68           |
| 3.8 संविधान की अनुसूचियाँ  | 71           |
| 3.9 संविधान संशोधन   | 72           |
| 3.10 भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना  | 83           |
| <b>4. संविधान की प्रस्तावना</b>  | <b>90–96</b> |

|             |  |                |
|-------------|--|----------------|
| <b>4.1</b>  | प्रस्तावना की विषय-वस्तु                             | 90             |
| <b>4.2</b>  | प्रस्तावना की उपयोगिता                               | 91             |
| <b>5.</b>   | <b>भारत संघ और उसका राज्यक्षेत्र</b>                 | <b>97–141</b>  |
| <b>5.1</b>  | संविधान का भाग-1 : अनुच्छेद 1-4                      | 97             |
| <b>5.2</b>  | स्वतंत्रता के पश्चात् देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन | 103            |
| <b>5.3</b>  | संघ राज्यक्षेत्रों का परिचय                          | 117            |
| <b>5.4</b>  | संघ राज्यक्षेत्रों की शासन व्यवस्था                  | 118            |
| <b>5.5</b>  | दिल्ली के लिये विशेष प्रावधान                        | 121            |
| <b>5.6</b>  | जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि                   | 126            |
| <b>5.7</b>  | अनुच्छेद-370   | 126            |
| <b>5.8</b>  | जम्मू-कश्मीर पर भारतीय संविधान का प्रभाव             | 127            |
| <b>5.9</b>  | अनुच्छेद 35(A)                                       | 132            |
| <b>5.10</b> | कुछ राज्यों के लिये विशेष उपबंध                      | 135            |
| <b>6.</b>   | <b>नागरिकता</b>                                      | <b>142–160</b> |
| <b>6.1</b>  | परिचय  | 142            |
| <b>6.2</b>  | भारतीय नागरिकता का स्वरूप                            | 143            |
| <b>6.3</b>  | संवैधानिक प्रावधान                                   | 145            |
| <b>6.4</b>  | नागरिकता अधिनियम, 1955                               | 147            |
| <b>6.5</b>  | विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे                      | 151            |

## 1.1 राज्य, राज्य के तत्त्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता (State, Elements of State and the Need of Political System)

भारतीय राजव्यवस्था को समझने से पहले ज़रूरी है कि राजव्यवस्था (Polity) की कुछ मूलभूत अवधारणाओं तथा पारिभाषिक शब्दावली (Terminology) से आप परिचित हों। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएँ तथा उनकी व्याख्या आगे दी गई हैं।

### राज्य क्या है? (What is state?)

राजव्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा 'राज्य' (State) है। राज्य शब्द का प्रयोग यूँ तो विभिन्न प्रांतों, जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिये भी होता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। वस्तुतः यह एक अमूर्त (Abstract) अवधारणा है अर्थात् इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिये भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। किसी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है या नहीं? विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में) और स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देशों (जैसे कुछ समय पहले के अफगानिस्तान) में विकास प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना इसी बात का प्रमाण है।

### राज्य के तत्त्व (Elements of state)

किसी भी राज्य के होने की शर्त है कि उसमें चार तत्त्व विद्यमान हों-

- | राज्य के तत्त्व | ↓  | ↓        | ↓     | ↓         |
|-----------------|--|----------|-------|-----------|
| भू-भाग          | होना चाहिये, जिस पर उस 'राज्य' की सरकार अपनी भू-भाग राजनीतिक क्रियाएँ करती हों। उदाहरण के लिये, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भू-भाग है। | जनसंख्या | सरकार | संप्रभुता |
- **भू-भाग:** अर्थात् एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिये, जिस पर उस 'राज्य' की सरकार अपनी भू-भाग राजनीतिक क्रियाएँ करती हों। उदाहरण के लिये, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भू-भाग है।
  - **जनसंख्या:** राज्य होने की शर्त है कि उसके भू-भाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जनसमुदाय होना चाहिये, जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा।
  - **सरकार:** सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है, जो व्यावहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। 'राज्य' और 'सरकार' में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यावहारिक अभिव्यक्ति।
  - **संप्रभुता या प्रभुसत्ता:** यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्त्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात् उसकी सरकार के पास अपने भू-भाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिये तथा उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिये बाध्य नहीं होना चाहिये।
- राज्य के ये चारों तत्त्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है-
- कभी-कभी ऐसा होता है कि सरकार भी होती है और जनता भी, किंतु भू-भाग नहीं होता। उदाहरण के लिये, तिब्बत की सरकार का संकट यही है। चीनी आक्रमण के कारण जब 'दलाई लामा' को भारत की शरण लेनी पड़ी और वे

### बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत एक गणतंत्र है, जिसमें अंतनिहित हैं:

**UPPCS (Mains) 2017**

- (a) राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है।
- (b) देश स्वतंत्र है।
- (c) देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है।
- (d) देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है।

2. भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? **UPPCS (Mains) 2017**

1. भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है।
2. राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1       | (b) केवल 2           |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

3. भारत के संदर्भ में, संसदीय शासन-प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है/हैं? **UPPCS (Mains) 2017**

1. मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं?
  2. जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं।
  3. राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है।
- नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 3    |
| (c) केवल 2 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |

4. निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है/हैं—

**UPPCS (Mains) 2014**

- (a) कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है।
- (b) राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है।
- (c) राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है।
- (d) ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

**UPPCS (Mains) 2012**

1. भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है।
2. भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है।
3. भारत में लोकतांत्रिक समाज है।
4. भारत एक कल्याणकारी राज्य है।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| (a) 1 और 2 केवल    | (b) 1, 2 और 3 केवल |
| (c) 2, 3 और 4 केवल | (d) 1, 2, 3 और 4   |

6. निम्नलिखित में कौन-सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है?

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| (a) ध्वज      | (b) राजधानी     |
| (c) संप्रभुता | (d) शासनाध्यक्ष |

7. भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि—

- (a) लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है।
- (b) संसद, संविधान का संशोधन कर सकती है।
- (c) राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता।
- (d) मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

8. संसदात्मक शासन व्यवस्था में—

- (a) न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है।
- (b) कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है।
- (c) कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है।
- (d) विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है।

9. राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं—

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| (a) राष्ट्रपति में   | (b) कैबिनेट में  |
| (c) व्यवस्थापिका में | (d) उच्च सदन में |

10. भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं—

1. यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है।
  2. इसमें संसदात्मक प्रणाली की सरकार है।
  3. सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है।
  4. यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है।
- नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिये।

- |               |               |
|---------------|---------------|
| (a) 1 और 2    | (b) 1, 2 और 3 |
| (c) 2, 3 और 4 | (d) सभी चारों |

11. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?

- (a) भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है
- (b) भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है
- (c) भारत एक कुलीन तंत्र है
- (d) भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है।

12. भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि—

- (a) संविधान लिखित है
- (b) यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं
- (c) जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है
- (d) यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं।

13. भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से क्या है?
- सामूहिक उत्तरदायित्व
  - न्यायिक समीक्षा
  - द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका
  - वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका
14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: संवैधानिक सरकार वह है:
- जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।
  - जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
  - केवल 2
  - 1 और 2 दोनों
  - न तो 1 और न ही 2
15. भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है?
- धर्मनिरेपक्ष राज्य
  - संसदीय पद्धति की सरकार
  - संघीय नीति
  - राष्ट्रपति पद्धति की सरकार
16. राज्य के लिये अनिवार्य तत्व हैं:
- |              |           |
|--------------|-----------|
| 1. जनसंख्या  | 2. सरकार  |
| 3. संप्रभुता | 4. भू-भाग |
- कूट:
- केवल 1, 2 और 3
  - केवल 2, 3 और 4
  - केवल 1, 3 और 4
  - 1, 2, 3 और 4
17. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
- संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है।
  - संप्रभुता राज्य की वह सार्वभौम शक्ति है, जिससे वह किसी भी बाह्य अथवा आंतरिक निर्णयों को लेने के लिये स्वतंत्र है।
- उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- केवल 1
  - केवल 2
  - 1 और 2 दोनों
  - न तो 1 और न ही 2
18. ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था:
- निश्चित भू-भाग के अभाव के कारण
  - जनसंख्या के अभाव के कारण
  - सरकार के अभाव के कारण
  - संप्रभुता के अभाव के कारण
19. निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण पाया जाता है?
- अमेरिका
  - ब्रिटेन
  - भारत
  - स्विट्जरलैंड
20. निम्नलिखित में सरकार के अंग के रूप में जाने जाते हैं:
- न्यायपालिका
  - विधायिका
  - कार्यपालिका
- कूट:
- केवल 1 और 2
  - केवल 2 और 3
  - केवल 1 और 3
  - केवल 1, 2 और 3
21. निम्न में से किसे जनता निश्चित अवधि के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है?
- राजनीतिक कार्यपालिका
  - स्थायी कार्यपालिका
  - राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका दोनों
  - न तो राजनीतिक और न ही स्थायी कार्यपालिका
22. निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका का चयन विधायिका के सदस्यों में से ही होता है?
- अध्यक्षीय कार्यपालिका
  - संसदीय कार्यपालिका
  - दोहरी कार्यपालिका
  - उपरोक्त में से कोई नहीं।
23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
- भारत की शासन व्यवस्था एकात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
  - संघात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका हमेशा कमज़ोर होती है तथा संसद की शक्ति बहुत अधिक होती है।
- उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- केवल 1
  - केवल 2
  - 1 और 2 दोनों
  - न तो 1 और न ही 2
24. शक्तियों के पृथक्करण तथा नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत मुख्यतः पाया जाता है—
- अमेरिकी शासन प्रणाली में
  - भारतीय शासन प्रणाली में
  - ब्रिटिश शासन प्रणाली में
  - स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली में

उत्तरमाला

1. (a)    2. (a)    3. (a)    4. (d)    5. (d)    6. (c)    7. (d)    8. (d)    9. (a)    10. (b)  
11. (d)    12. (c)    13. (b)    14. (b)    15. (d)    16. (d)    17. (c)    18. (d)    19. (d)    20. (d)  
21. (a)    22. (b)    23. (d)    24. (a)    25. (c)    26. (d)    27. (c)    28. (c)    29. (b)    30. (c)  
31. (d)    32. (d)

## अभ्यास प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

- राजनीतिक कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न रूपों का विश्लेषण करें।
  - भारत की विधि-व्यवस्था विभिन्न विधियों के समन्वय से निर्मित हुई है। स्पष्ट करें।
  - केंद्र तथा प्रांतों के संबंधों के आधार पर शासन प्रणालियों को स्पष्ट करें।
  - संघात्मक व्यवस्था को 'अविनाशी गज्यों' का अविनाशी संगठन' कहा जाता है। टिप्पणी करें।
  - संसदीय शासन प्रणाली क्या है? यह अध्यक्षीय प्रणाली से कैसे भिन्न है?
  - संविधानवाद क्या है? वर्तमान समय में इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समीक्षात्मक विश्लेषण करें।
  - समाजवादी लोकतंत्र से क्या समझते हैं? यह संविधान से कैसे निकट संबंध रखता है?

## भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना (Comparison of Indian Constitutional System with Other Major Democratic Countries)

भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पक्षों का विस्तृत अध्ययन करने से पहले बेहतर होगा कि आप विश्व के कुछ प्रमुख देशों के संविधानों तथा उनकी राजव्यवस्थाओं से परिचित हों। ऐसा करने के दो लाभ होंगे—

- (क) यह समझना आसान होगा कि भारतीय संविधान व राजव्यवस्था में कौन-कौन सी विशेषताएँ किस देश से ली गई हैं?
- (ख) भारतीय राजव्यवस्था की तुलना अन्य राजनीतिक प्रणालियों से करना सरल हो जाएगा।

### 2.1 ब्रिटिश संवैधानिक योजना (British Constitutional System)

भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था पर सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली का है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि लंबे समय तक ब्रिटेन के अधीन रहने के कारण हमारे स्वाधीनता संघर्ष के नेताओं को ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली के लक्षणों से परिचित होने का पर्याप्त अवसर मिला था। संक्षेप में ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

- ब्रिटिश शासन प्रणाली संवैधानिक राजतंत्र (**Constitutional Monarchy**) पर आधारित है। 1688 ई. से पहले ब्रिटेन में राजतंत्र चल रहा था, किंतु 1688 ई. में हुई गैरकमयी क्राति ने राजतंत्र को हटा कर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। इसका अर्थ है कि आजकल ब्रिटेन में राजा के पास नाममात्र की शक्ति है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ संविधान के अंतर्गत काम करने वाली संस्थाओं जैसे संसद के पास आ गई हैं। यह ज़रूर है कि ब्रिटिश व्यवस्था में अभी भी राजतंत्र और कुलीनतंत्र के कुछ लक्षण बचे हुए हैं, जैसे राजमुकुट की संस्था तथा लॉडर्स सभा की निरंतरता।
- ब्रिटेन का लोकतंत्र संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि कार्यपालिका का गठन विधायिका अर्थात् ब्रिटिश संसद के सदस्यों में से ही होता है। चूँकि संसदीय व्यवस्था का जन्म ब्रिटिश संसद से ही हुआ था, इसलिये संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। ध्यातव्य है कि 'वेस्टमिंस्टर' लंदन का बह स्थान है, जहाँ ब्रिटिश संसद भवन स्थित है।
- ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ औपचारिक रूप से गठित किसी संविधान सभा ने कोई ऐसा अकेला दस्तावेज़ तैयार नहीं किया है जिसे ब्रिटिश संविधान की संज्ञा दी जा सके। ब्रिटेन में संविधान धीरे-धीरे विकसित हुआ है, जिसका कुछ हिस्सा लोकविधियों, कुछ संवैधानिक परंपराओं, कुछ न्यायालयी निर्णयों तथा कुछ संसद के अधिनियमों पर आधारित है।
- ब्रिटेन की संसद अत्यधिक शक्तिशाली है, जिसका मूल कारण संविधान का अलिखित होना है। चूँकि, संविधान संसद की शक्तियों पर कोई नियंत्रण लागू नहीं करता, इसलिये ब्रिटेन की संसद विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया से ही संविधान को बदल सकती है। यही कारण है कि ब्रिटिश संविधान को सुनम्य या लचीला संविधान भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद की शक्तियों पर टिप्पणी करते हुए एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता एडवर्ड कॉक ने कहा है कि “ब्रिटिश संसद ऐसा कोई भी कार्य कर सकती है, जो कि प्राकृतिक दृष्टि से असंभव न हो।”
- ब्रिटेन की शासन प्रणाली एकात्मक है, संघात्मक नहीं। चूँकि ब्रिटेन एक छोटा देश है और वहाँ की जनसंख्या में बहुत ज्यादा वैविध्य नहीं है, इसलिये वहाँ एकात्मक प्रणाली सफल रूप से कार्य कर रही है। एकात्मक शासन का अर्थ है कि स्थानीय शासन की इकाइयों को कानून बनाने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है, उन्हें ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार ही कार्य करना होता है।
- ब्रिटिश राज्य का राज्याध्यक्ष राजमुकुट (**Crown**) को माना जाता है। ध्यातव्य है कि महारानी की सरकार वस्तुतः राजमुकुट की सरकार होती है। राजमुकुट एक संस्था है, जबकि सप्राट एक व्यक्ति विशेष है; राजमुकुट स्थायी है, जबकि सप्राट

### 3.1 भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार (Historical base of Indian Constitution)

#### रेग्यूलेटिंग एक्ट, 1773 (Regulating act, 1773)

इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं—

- बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया।
- कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व चार सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई।
- कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774) की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजाह इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद (4 सदस्य) को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
- अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का ‘गवर्नर जनरल’ कहा जाने लगा।
- इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल ‘लॉर्ड वॉरेन हेसिंग्स’ थे।
- इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार/रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया।
- कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (कंपनी की गवर्निंग बॉडी) का नियंत्रण बढ़ गया और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया।
- व्यापार की सभी सूचनाएँ क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया।

#### एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 (Act of settlement, 1781)

- रेग्यूलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिये भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई।
- इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था।
- इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है, जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो अर्थात् कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किये गए अपने कार्य के लिये सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए।
- न्यायालय की अपनी आज्ञाएँ तथा आदेश लागू करते समय सरकार के कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति-रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया।

## संविधान की प्रस्तावना (Preamble of Constitution)

प्रस्तावना या उद्देशिका या आमुख (Preamble) किसी संविधान के दर्शन को सार-रूप में प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। सबसे पहले अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। इसके बाद, जैसे-जैसे विभिन्न देशों ने अपने संविधान बनाए, उनमें से कई देशों ने प्रस्तावना को महत्वपूर्ण मानकर इसे संविधान में शामिल किया। भारतीय संविधान सभा ने भी प्रस्तावना को शामिल करने पर सहमति जताई। वस्तुतः यह प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 को स्वीकार किये गए उसी उद्देश्य प्रस्ताव (Objective resolution) का विकसित रूप है, जिसे पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था और जिसमें निहित आदर्शों पर मूल स्वीकृति के आधार पर ही संविधान के विभिन्न उपबंध बनाए गए थे। उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना मिलकर भारतीय संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करते हैं।

प्रस्तावना के संदर्भ में कई बिंदुओं पर विचार किया जाना अपेक्षित है, जैसे—

- प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है?
- प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं?
- क्या प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के उपबंधों के तहत संशोधन किया जा सकता है?
- यदि भारतीय विधायिका या कार्यपालिका की नीतियाँ प्रस्तावना में उल्लिखित विचारों के अनुरूप न हों तो क्या प्रस्तावना में लिखित विचारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है?

### 4.1 प्रस्तावना की विषय-वस्तु (Content of the Preamble)

| प्रस्तावना (उद्देशिका)   | Preamble   |
|--|--|
| <p>हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों को:</p> <p>सामाजिक, अर्थिक और राजनीतिक न्याय,</p> <p>विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,</p> <p>प्रतिष्ठा और अवसर की समता</p> <p>प्राप्त कराने के लिये,</p> <p>तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये</p> <p>दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।</p> | <p>WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens :</p> <p>JUSTICE: social, economic and political;</p> <p>LIBERTY: of thought, expression, belief, faith and worship;</p> <p>EQUALITY of status and of opportunity;</p> <p>and to promote among them all</p> <p>FRATERNITY: assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;</p> <p>IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.</p> |

Note: 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में तीन शब्द— समाजवादी (Socialist), पंथ-निरपेक्ष (Secular) तथा अखंडता (Integrity) जोड़े गए थे।

## 5.1 संविधान का भाग-1 : अनुच्छेद 1-4 (Part-1 of Constitution : Article 1-4)

भारतीय संविधान के भाग-1 (अनुच्छेद 1 से 4) में इस बात की चर्चा की गई है कि भारत के राज्यक्षेत्र (Indian territory) में किस-किस प्रकार की इकाइयाँ होंगी और उनका भारत संघ (Union of India) के साथ क्या संबंध होगा? इस भाग को ठीक से समझने के लिये हम सभी अनुच्छेदों पर क्रमशः विचार करेंगे—

### अनुच्छेद-1 (Article-1)

संविधान के अनुच्छेद-1 के तीन खंड हैं— अनुच्छेद-1(1), 1(2) तथा 1(3)। इन तीनों में भारत संघ तथा उसके राज्यक्षेत्र से संबंधित बुनियादी सूचनाएँ दी गई हैं।

#### अनुच्छेद-1(1)

अनुच्छेद-1(1) में कहा गया है कि “इंडिया अर्थात् भारत राज्यों का संघ होगा।” (India, that is Bharat, shall be a union of states)।

यह कथन निम्नलिखित दृष्टियों से महत्वपूर्ण है:

- इसमें ‘इंडिया, दैट इज्ज भारत’ का जो प्रयोग किया गया है, उसे लेकर प्रश्न उठता है कि संविधान निर्माताओं को एक ही देश के दो नामों का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी? वस्तुतः संविधान सभा में देश के नाम के मुद्रे पर काफी चर्चा हुई थी। जो लोग भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति पर बल दे रहे थे, उनकी इच्छा थी कि देश का नाम ‘भारत’ होना चाहिये। दूसरी ओर, कुछ नेताओं की राय थी कि ‘इंडिया’ नाम से भारत को पूरे विश्व में पहचाना जाता है तथा यह आधुनिक नाम है, इसलिये देश का नाम इंडिया ही होना चाहिये। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उस समय भारत का नाम ‘इंडिया’ था तथा हमारे देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी ‘इंडिया’ नाम से हुए थे। चूँकि संविधान सभा विवाद के मामलों में सर्वसम्मति न हो पाने की दशा में समायोजन के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करती थी, इसलिये उसने दोनों ही नामों को शामिल कर लेना उचित समझा। विवाद इस पर भी था कि ‘इंडिया, दैट इज्ज भारत’ कहना ज्यादा उचित है या ‘भारत, दैट इंडिया’। किंतु इस विवाद पर ज्यादा बल न देते हुए ‘इंडिया, दैट इज्ज भारत’ अभिव्यक्ति को चुन लिया गया। इसका अर्थ यह है कि देश का औपचारिक नाम ‘इंडिया’ है।
- इस कथन में प्रयुक्त शब्द ‘यूनियन’ भी व्याख्या की अपेक्षा रखता है। संविधान सभा के समक्ष यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था कि भारत की शासन प्रणाली को एकात्मक ढाँचे के अनुसार रखा जाए या संघात्मक ढाँचे के अनुसार? संविधान सभा शुरू में राज्यों को अधिकाधिक स्वायत्ता देने के पक्ष में थी, किंतु भारत-पाक विभाजन के बाद उसकी राय बदल गई। वह समझ गई कि विभिन्न रियासतों से मिलकर बने देश के समक्ष एक बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की है। इसके लिये ज़रूरी था कि केंद्र की शक्ति ज्यादा हो और राज्यों को इतनी स्वाधीनता न दी जाए कि भविष्य में किसी भी तनाव की स्थिति में राष्ट्रीय एकता पर खतरा उपस्थित हो जाए।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने ‘यूनियन’ शब्द का प्रयोग करने के पीछे निम्न स्पष्ट कारण बताए हैं—

- ◆ भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है,
- ◆ किसी भी राज्य को भारत संघ से पृथक् होने का कोई अधिकार नहीं है।

डॉ. अंबेडकर ने इस संबंध में संविधान सभा में कहा था कि “अमेरिकियों को यह सिद्ध करने के लिये गृहयुद्ध छेड़ना पड़ा था कि राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है तथा उनका फेडरेशन अविनाशी है। प्रारूप समिति का विचार था कि इस प्रश्न को अटकलबाजी या विवाद के लिये छोड़ देने की बजाय बेहतर यही है कि इसे आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया जाए।”

नागरिकता का सामान्य अर्थ-व्यक्ति और राज्य के अंतर्संबंधों की उद्घोषणा है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है, जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किये गए हों और जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखते हों।

नागरिकता में यह तथ्य भी सम्मिलित है कि व्यक्ति का अपने राष्ट्र/राज्य के प्रति स्थायी निष्ठा भाव तो हो ही साथ में राज्य द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी हेतु कुछ अधिकार व कर्तव्य भी दिये जाएँ, जिनका प्रयोग वह स्वयं के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ समाज कल्याण हेतु भी करे। अतः नागरिकता कतिपय व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है।

## 6.1 परिचय (Introduction)

भारतीय संविधान अनुच्छेद 1-4 (भाग-I) तक भारत के राज्यक्षेत्र से संबंधित उपबंध देने के बाद अनुच्छेद 5-11 (भाग-II) में स्पष्ट करता है कि इस राज्यक्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में से नागरिक संबंधित बहुत कम प्रावधान देते हुए सिफ़ यह बताया गया है कि संविधान लागू होने के दिन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। बाद की स्थितियों के लिये नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है। इस शक्ति के आधार पर संसद ने सर्वप्रथम 1955 में 'नागरिकता अधिनियम' पारित किया था। उसके बाद, उसने समय-समय पर इस अधिनियम में प्रासंगिक संशोधन भी किये हैं।

### व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग (Different categories of persons)

किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों को उनके कानूनी दर्जे (Legal status) के आधार पर साधारणतः निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

- **नागरिक (Citizens):** 'नागरिक' किसी देश के 'पूर्ण सदस्य' होते हैं। वे राज्य तथा संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। उन्हें सभी मूल अधिकार व बहुत से कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं तथा उनसे राज्य द्वारा घोषित कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। कोई व्यक्ति किस देश का नागरिक है, इसकी सामान्य कसौटी यह है कि उसके पास किस देश का पासपोर्ट है या वह किस देश का पासपोर्ट प्राप्त करने की अंहता रखता है?
- **अन्यदेशीय व्यक्ति (Aliens):** ये वे व्यक्ति हैं जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं। तकनीकी तौर पर इन्हें 'विदेशी' भी कहा जाता है। अन्यदेशीय व्यक्तियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है— 'मित्र अन्यदेशीय' तथा 'शत्रु अन्यदेशीय'। जिन देशों के साथ हमारा युद्ध चल रहा होता है, उनके नागरिकों को 'शत्रु अन्यदेशीय' कहते हैं जबकि शेष देशों के नागरिक 'मित्र अन्यदेशीय' कहलाते हैं।
- अन्यदेशीय व्यक्तियों को वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते जो नागरिकों के पास होते हैं। देश के संविधान तथा अन्य अधिनियमों में स्पष्ट किया जाता है कि उनके पास कौन-से अधिकार नहीं होंगे। उदाहरण के लिये, भारत में अन्यदेशीय व्यक्तियों को अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन का अधिकार' प्राप्त है किंतु अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 'स्वतंत्रता का अधिकार' प्राप्त नहीं है। शत्रु अन्यदेशीय व्यक्तियों को कुछ अन्य अधिकारों से भी वर्चित किया जा सकता है जो मित्र अन्यदेशीय व्यक्तियों को दिये गए हों। उदाहरण के लिये, अनुच्छेद 22(3) में गिरफ्तारी से संबंध में जिस प्रकार के विस्तृत अधिकार भारत के नागरिकों तथा मित्र अन्यदेशीय व्यक्तियों को प्राप्त हैं, वैसे अधिकार शत्रु अन्यदेशीय व्यक्तियों को नहीं।
- **राज्यविहीन व्यक्ति (Stateless Persons):** यह एक अत्यंत छोटा वर्ग है जिसमें विरल उदाहरण ही शामिल होते हैं। कई देशों में इस वर्ग के अंतर्गत एक भी व्यक्ति नहीं होता। साधारणतः अवैध आप्रवासियों की नई पीढ़ियाँ इस स्थिति

## डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- किंवदं रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : [www.drishtiIAS.com](http://www.drishtiIAS.com)  
E-mail : [online@groupdrishti.com](mailto:online@groupdrishti.com)



641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009  
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456